न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुकाम सांवली

मुकदमा नम्बरः 02/2017

उनवान

रामू पुत्र छोटू, जाति जाट, निवासी डेडू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

बनाम

तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

उपस्थितिः— श्री मुकेश चौधरी, वकील प्रार्थी।

पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम—1956

निर्णय दिनांक 15/5/17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम—1956 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाके ग्राम डेडू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी साबिक किस्म नाडा—2 रही है, जो सही एवं वास्तविक है परन्तु सहवन से राजस्व कारकुनानों ने उक्त खसरा नम्बर की किस्म तालाबी—2 दर्ज कर दी गयी है, जो कि गलत है एवं काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर दादरसी चाही है कि "प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 514 रकबा 0.3200 हैक्टेयर की किस्म तालाबी—2 हजफ की जाकर किस्म नाडा—2 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट "न्याय आपके द्वार" मुकाम सांवली पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मौजमाबाद का जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार मौजमाबाद ने अपने जवाब में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये विवादित आराजी की किस्म तालाबी—2 के स्थान पर किस्म नाडा—2 दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट की है। वकील प्रार्थी की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली एवं तहसीलदार मौजमबाद के जवाब, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम—1956 स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाके ग्राम डेडू तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की किस्म तालाबी—2 को हजफ किया जाकर नाडा—2 दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मौजमाबाद को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/17 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मुकाम सांवली पर सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी/कैम्प कोर्ट प्रभारी,
दूदू जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner